राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 733/2010/चित्तौडगढ़

मैसर्स आदित्य सीमेन्ट,
शम्भपुरा, चित्तौडगढ़। ....अपीलार्थी

बनाम

1. वाणिज्यिक कर अधिकारी,
विशेष वृत, भीलवाडा।
2. उपायुक्त (अपील्स), उदयपुर। ....प्रत्यर्थीगण

खण्डपीठ
श्री मदन लाल, सदस्य
श्री राजीव चौधरी, सदस्य

उपस्थित : :

श्री एम.एल.पाटौदी, अभिभाषक। ....अपीलार्थी की ओर से.
श्री आर.के.अजमेरा,
उप राजकीय अभिभाषक। ....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 05/06/2017

निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, उदयपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या 164/सीएसटी/08–09 में पारित अपीलीय आदेश दिनांक 16.03.2010 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसमें अपीलार्थी व्यवहारी ने वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष वृत, भीलवाडा (जिसे आगे **"कर निर्धारण अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा राजस्थन विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 37 सपठित धारा 9 केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 01.04.2008 के जरिये वर्ष 2001–02 में सृजित मांग रूपये 27,53,604/– को अपीलीय अधिकारी द्वारा पुष्टि किये जाने को अधिनियम की धारा 83 के तहत विवादित किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि व्यवहारी का वर्ष 2001–02 का कर निर्धारण आदेश दिनांक 29.06.2004 को सीएसटी के तहत पारित करते हुए अधिसूचना दिनांक 06.05.1986 के तहत इकाई के बिक्री के औसत प्रतिशत का अनुमोदन किया गया एवं रूपये 23,07,489/– का आंशिक छूट (Partial exemption) स्वीकृत किया गया। व्यवहारी द्वारा 4 प्रतिशत की दर से ("सी" फार्म के विरूद्ध) एवं 6 प्रतिशत की दर से अन्तर्राज्यीय बिक्री की गई। अधिसूचना दिनांक 21.01.2000 के अनुसार जो व्यवसायी इस अधिसूचना के तहत 6 प्रतिशत रियायती कर दर से बिक्री प्राप्त करने का लाभ प्राप्त करता है, वह शर्त संख्या 3 के अनुसार अधिसूचना दिनांक 06.05.1986 के तहत आंशिक छूट का लाभ प्राप्त करने का पात्र नहीं रहता। एक वित्तीय वर्ष में कोई भी व्यवसायी दोनों अधिसूचनाओं का एक साथ लाभ प्राप्त करने का पात्र नही मानते हुए कर निर्धारण अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 01.04.2008 द्वारा आंशिक छूट रूपये 23,07,489/– एवं ब्याज रूपये 4,46,115/– कुल राशि रूपये 27,53,604/– आरोपित की, कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध अपील अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई। अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी की अपील को अस्वीकार करते हुए सृजित मांग राशि की पुष्टि की, अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर व्यवहारी द्वारा यह अपील कर बोर्ड के समक्ष अधिनियम की धारा 83 के तहत प्रस्तुत की गई है।

3. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

05/06/17

लगातार..............2.

4. व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि व्यवहारी का मूल कर निर्धारण आदेश दिनांक 29.06.2004 को पारित हो चुका था, उसमें किसी प्रकार की भूल नहीं थी, तत्पश्चात भी कर निर्धारण अधिकारी ने राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 06.05.1986 के तहत आंशिक छूट का लाभ धारा 37 में निरस्त किया है, जो अन्यायोचित है। अतः उन्होंने आंशिक छूट को स्वीकारते हुए व्यवहारी की अपील स्वीकार करने का निवेदन किया।

5. विद्वान उपराजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के आदेशों का समर्थन करते हुए प्रस्तुत अपील को अस्वीकार करने का निवेदन किया। अपने तर्कों के समर्थन में उन्होंने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के निर्णय अपील संख्या एस.बी. सिविल टैक्स रिवीजन पिटीशन संख्या 613/2005 लक्ष्मी सीमेन्ट (A Division of J.K. Corp. Ltd. Now renamed as J.K. Lakshmi Cement Ltd.) Jaykaypuram, Distt. Sirohi) Vs. Commercial Taxes Officer निर्णय दिनांक 17.04.2009 को उद्धरित कर निवेदन किया कि समान तथ्यों पर आधारित प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय ने व्यवहारी की निगरानी अस्वीकर की है। अतः उन्होंने प्रस्तुत अपील को अपास्त करते हुए अपीलीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि करने का निवेदन किया।

6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया, प्रस्तुत रिकार्ड का अवलोकन किया गया। एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त का ससम्मान अध्ययन किया गया।

जहां तक अधिनियम की धारा 37 का प्रश्न है, इसके संबंध में माननीय राजस्थान कराधान प्राधिकरण, जयपुर ने मै0 मंगलम सीमेन्ट बनाम सीटीओ के मामले में निर्णय दिनांक 27.02.1998 के पैरा 19 में यह अभिनिर्धारित किया है कि रेकार्ड से स्पष्ट/तथ्यों सम्बन्धी भूल को संशोधित किया जाना कर निर्धारण अधिकारी के क्षेत्राधिकार में आता है। सम्बन्धित निर्णय का अंश इस प्रकार है :–

> **"Section 17, RST Act talks of the rectification of mistakes apparent from the record. It is not a question of a difference of opinion or of the interpretation of a nofification but a case of misapplicaion of an otherwise clear and unambiguous notification. The AA correctly invoked section 17 RST Act."**

7. इससे स्पष्ट है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपने पूर्व में. पारित आदेश को धारा 37 के तहत संशोधन किया है, जो न्यायोचित है।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के निर्णय **एस.बी. सिविल टैक्स रिवीजन पिटीशन संख्या 613/2005 लक्ष्मी सीमेन्ट (A Division of J.K. Corp. Ltd. Now renamed as J.K. Lakshmi Cement Ltd.) Jaykaypuram, Distt. Sirohi) Vs. Commercial Taxes Officer निर्णय** दि. 17.4.2009 का सुसंगत तथ्य निम्नानुसार हैः–

> **"26. One cannot lose sight of the fact that both the Notifications dated 6/5/1986 and 21/1/2000 provide for exemption or concession to the assessee, a manufacture of cement. While the Notification dated 6/5/86 does not specify any dealer or type of manufacturer, the later Notification dated 21/1/2000 applies to manufacturers of cement. As noted above, for other commodities manufacturers, other similar notifications were also issued by the State Government. Therefore, the State Government cautiously wanted not to apply or allow the benefit of Notification dated 6/5/1986 to those manufacturers or specified dealers for which subsequent notifications like the one in hand dated 22.1.2000 was issued, if they make sales and avail benefit of**

05/06/17

लगातार..............3.

concessional rate of tax under these notifications issued under Section 8(5) of the CST ACt. Therefore, dissecting this condition and still allowing the benefit of partial exemption under the Notification dated 6/5/86 would be doing violence to the condition no.3 which was never intended by the State Government. It is for the assessee to opt either for availing benefit of concessional rate of tax under the Notification dated 21/1/2000 or not to do so altogether. Once, he does so and opts for the same, the applicability of the nofitication dated 6/5/1986 is excluded altogether and not in piece meal. Therefore, it cannot be contended by the assessee that in respect of other inter-State sales, still parital exemption may be allowed in terms of Notification dated 6/5/1986, applicability of which stands excluded. Doctrine of exclusion and eclipse would apply in such cases rather than doctrine of liberal construction. "

8. व्यवहारी फर्म द्वारा अधिसूचना दिनांक 20.1.2000 के तहत 70.46 करोड रूपये की 6 प्रतिशत की रियायती दर से बिना 'सी' फार्म की बिक्री की गयी है। आयुक्त, वाणिज्यिक कर, जयपुर के परिपत्र एफ.16 (बजट टैक्स) सीसीटी/94–95/119 दिनांक 16.4.2001 के अनुसार व्यवसायी एक वित्तीय वर्ष में दो स्कीमों का लाभ एक साथ नहीं ले सकता है।

9. अतः उपरोक्त विवेचनानुसार एंव माननीय राज0 उच्च न्यायालय के निर्णय के आलोक में अपीलीय अधिकारी एंव कर निर्धारण अधिकारी के आदेशों की पुष्टि की जाती है एंव व्यवहारी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को अपास्त किया जाता है।

निणर्य सुनाया गया।

05/06/17
(राजीव चौधरी)
सदस्य

5.6.2017
(मदन लाल)
सदस्य